रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2014/भाद्र 31, 1936
No. 494] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2014/BHADRA 31, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 682(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में, नियम 8 में, उप-नियम (6) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात :

"(7) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की कोई भी भविष्य निधि, जिसका प्रतिनिधित्व इसके न्यासीगण करते हों, स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने की भी पात्र होगी।"

[फा. सं. 1/17/एसएम/2012-पार्ट]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 में दिनांक 21 फरवरी, 1957 की सं. का.नि.आ. 576 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित संख्यांकों के तहत संशोधित की गई :—

(i) सा.का.नि. 1096, दिनांक 14 जुलाई, 1967;
(ii) सा.का.नि. 685, दिनांक 3 जून, 1972;
(iii) सा.का.नि. 959, दिनांक 8 अगस्त, 1972;
(iv) सा.का.नि. 2641, दिनांक 1 नवम्बर, 1975;
(v) सा.का.नि. 1083, दिनांक 11 नवम्बर, 1985;
(vi) सा.का.नि. 1070(अ.), दिनांक 15 नवम्बर, 1988;
(vii) सा.का.नि. 666(अ.), दिनांक 20 जुलाई, 1987;
(viii) सा.का.नि. 870(अ.), दिनांक 13 नवम्बर, 1992;
(ix) सा.का.नि. 617(अ.), दिनांक 20 सितम्बर, 1993;
(x) सा.का.नि. 749(अ.), दिनांक 12 अक्तूबर, 1994;
(xi) सा.का.नि. 790(अ.), दिनांक 7 नवम्बर, 1994;
(xii) सा.का.नि. 121(अ.), दिनांक 9 मार्च, 1995;
(xiii) सा.का.नि. 291(अ.), दिनांक 27 मार्च, 1995;
(xiv) सा.का.नि. 581(अ.), दिनांक 23 दिसम्बर, 1996;
(xv) सा.का.नि. 654(अ.), दिनांक 8 अगस्त, 2000;
(xvi) सा.का.नि. 415(अ.), दिनांक 7 जून, 2001;
(xvii) सा.का.नि. 696(अ.), दिनांक 28 अगस्त, 2003;
(xviii) सा.का.नि. 395(अ.), दिनांक 10 जून, 2009;
(xix) सा.का.नि. 469(अ.), दिनांक 4 जून, 2010;
(xx) सा.का.नि. 662(अ.), दिनांक 9 अगस्त, 2010; और
(xxi) सा.का.नि. 705(अ.), दिनांक 24 अक्तूबर, 2013
(xxii) सा.का.नि. 21(अ.), दिनांक 16 जनवरी, 2014

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2014

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 8, after the sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :-—

"(7) Any provident fund represented by its trustees, of an exempted establishment under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), shall also be eligible to be elected as a member of a stock exchange".

[F. No. 1/17/SM/2012-Part]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. (Financial Markets)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, *vide* number S.R.O. 576, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended *vide* the following numbers :—

(i) G.S.R. 1096, dated the 14th July, 1967;
(ii) G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972;
(iii) G.S.R. 959, dated the 8th August, 1972;
(iv) G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975;
(v) G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985;
(vi) G.S.R. 1070 (E), dated the 15th November, 1988;
(vii) G.S.R. 666 (E), dated the 20th July, 1987;
(viii) G.S.R. 870 (E), dated the 13th November, 1992;
(ix) G.S.R. 617 (E), dated the 20th September, 1993;
(x) G.S.R. 749 (E), dated the 12th October, 1994;
(xi) G.S.R. 790 (E), dated the 7th November, 1994;
(xii) G.S.R. 121 (E), dated the 9th March, 1995;
(xiii) G.S.R. 291 (E), dated the 27th March, 1995;
(xiv) G.S.R. 581 (E), dated the 23rd December, 1996;
(xv) G.S.R. No 654 (E), dated the 8th August, 2000;
(xvi) G.S.R. 415 (E), dated the 7th June, 2001;
(xvii) G.S.R. 696 (E), dated the 28th August, 2003;
(xviii) G.S.R. 395 (E), dated the 10th June, 2009;
(xix) G.S.R. 469 (E), dated the 4th June, 2010;
(xx) G.S.R. 662 (E), dated the 9th August, 2010; and
(xxi) G.S.R. 705 (E), dated the 24th October, 2013.
(xxii) G.S.R. 21 (E), dated the 16th January 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054